न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलास श्री जितेन्द्र शर्मा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 28/2022

1–लोकेश सैहरावत
2–रविन्द्र कुमार पुत्रगण कृपा उर्फ कृपालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम ऐंचवाडा तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक – 13.02.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि आराजी खसरा नम्बर 253/0.23, 278/0.19, 279/0.13, 280/0.23, 281/0.01, 282/0.27, 283/0.20, 284/0.19, 285/0.19, 663/0.04, 664/0.04, 666/0.43, 668/0.03, 676/0.32, 711/0.35, 712/0.27 किता–16 रकबा 3.12 हैक्टेयर वाके ग्राम ऐंचवाडा तहसील कामा मे स्थित है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल सलग्न है। उक्त आराजी भूमि प्रार्थीगण की पैतृक आराजी भूमि है जो प्रार्थीगण को जरिये विरासतन प्राप्त हुई। जब प्रार्थीगण ने अपने नाम विरासत का दाखिल खारिज खुलवाया तो प्रार्थीगण ने अपने नाम रविन्द्र कुमार, लोकेश सैहरावत पुत्र कृपा उर्फ कृपालसिंह सही दर्ज कराया था और ग्राम पंचायत ऐंचवाडा ने मिलान कर दिनांक 20.10.2015 को नामान्तरकरण सही फैसल कर स्वीकार किया। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी का अमल करते समय राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) मे सहवन भूल से प्रार्थीगण के नाम रविन्द्र कुमार, लोकेश सैहरावत के स्थान पर (1) रविन्द्र कुमार (2) लोकेश (3)सहरावत पुत्रगण कृपा उर्फ कृपाल सिंह दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। उक्त आराजी भूमि का हाल जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के नाम (1) रविन्द्र कुमार (2) लोकेश (3) सहरावत पुत्रगण कृपा उर्फ कृपाल सिंह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो गलत व खिलाफ कानून है। जबकि प्रार्थीगण रविन्द्र कुमार व लोकेश सहरावत दर्ज खातेदार होने चाहिए। इसलिए उक्त आराजी जो सहरावत पुत्र कृपा उर्फ कृपाल सिंह हाल जमाबन्दी मे खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उसे शुद्ध कर रिकॉर्ड से कलमजन किया जावे जो सही व न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे कि उक्त आराजी जो सहरावत पुत्र कृपा उर्फ कृपाल सिंह हाल जमाबन्दी मे खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उसे शुद्ध कर रिकॉर्ड से कलमजन किया जावे जो सही व न्यायसंगत है।

[illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। [illegible] तहसीलदार कामां से [illegible] रिपोर्ट [illegible] दिनांक [illegible] पेश किया कि [illegible] की रिपोर्ट में [illegible] जमाबन्दी सं. 2016-17 [illegible] कृष्ण उर्फ कृष्णसिंह [illegible] रविन्द्रकुमार [illegible] लोकेश सैरदत्त पुत्र कृष्ण उर्फ कृष्णसिंह [illegible] अर्थात सैरदत्त इनका गौत्र है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए सबूत जमाबन्दी सं. 2016-17, 2019-2021 [illegible] पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड [illegible] संलग्न किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण में बहस प्रार्थीगण की सुनी गयी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया। प्रार्थीगण कृष्ण उर्फ कृष्णसिंह व लोकेश सैरदत्त रविन्द्रकुमार के पुत्र है। सैरदत्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सैरदत्त केवल इनका गौत्र है। जिसका सहवन से गलत नाम सैरदत्त लिख दिया गया है। जिसे तहसीलदार कामां की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी रिकार्ड में कृष्ण उर्फ कृष्णसिंह व पुत्र रविन्द्र कुमार, लोकेश सैरदत्त है। तथा सैरदत्त का नाम को शुद्ध किया जाता है लोकेश सैरदत्त किया जाता है। तहसीलदार कामां को पालना के लिए पत्र लिखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)